1.6.17

पत्रावली आज की गई कोर्ट दुड़ियां में पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम दुड़ियां की सरहद में भूमि रव.नं. नया 414 रकबा 1.29 है जिस के पुराने खसरा नम्बर 162 व 165 है। उक्त वर्णित भूमि रव.नं. 414 के खातेदार वादी है। पुराने रव.नं. 162 व 165 तथा नये रव.नं 414 की नकशा ट्रेस में काफी अन्तर है। वादी की प्रस्तुत भूमि की पश्चिमी सीमा पर डोटेड लाईन से रास्ता कायम किया गया है जबकि मौके पर कभी कोई रास्ता नही रहा तथा ना ही आज मौके पर कोई रास्ता है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner

बन्दोबस्त विभाग ने रास्ता कायम करते समय पक्षकारान की कोई सुनवाई नहीं की गई। बिना विधिक आदेश के रास्ता कायम किया है जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अतः भूमि स्व.नं. नया पाप रकबा 1.29 है. का रकबे के अनुसार तथा पुरानी नक्शा हुस्सा के अनुसार नये रास्ते की नक्शा देख दुरुस्त की जाकर तदनुसार नक्शा दुरुस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी से जवाब लिया गया। रिपोर्ट अनुसार भूमि स्व.नं. पाप में डोटेड लाईन रास्ता होना स्वीकार है तथा मौके पर रास्ता प्रचलित है। द्वितीय सेटलमेंट आपरेशन के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार वर्तमान नक्शा हुस्से में डोटेड लाईन रास्ता अंकित किया गया है। तहसीलदार उदयपुरवाटी के जवाब व रिपोर्ट दिनांक 1.11.17 के अनुसार भूमि स्व.नं. पाप में वर्तमान में रास्ता प्रचलित है। वादी/प्रार्थी का यह कथन कि उक्त वर्णित भूमि में कभी रास्ता की नहीं रहा है तथ्यों से परे है। द्वितीय बन्दोबस्त आपरेशन को लगभग 35 वर्ष गुजर चुके हैं परन्तु इस अवधि में वादी द्वारा किसी प्रकार का कोई वजनेम प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा वर्तमान मौका स्थिति के तथ्य को छुपाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात स्वं मौके पर प्रचलित रास्ते के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार नहीं होने के कारण खारिज किया जाना उचित स्वं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली ऐसस शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 1.6.17 को कोर्ट कुर्सी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी